


STATE BANK OF INDIA

Sl. No. 545625

GSR / 001



RECEIPT

8253
21/11/16

STATE BANK OF INDIA
Ratia 10730

Branch Ratia 10730 Code No.

Ratia 10730

Received a sum of ₹ 1,35,000/-
(Rupees One lac thirty five thousand only)

from Smt. / Shri P. Richa Sondang


sto. d/o w/o Rajender Kumar

residing at Patia, U. F. for credit to Government of Haryana.


account towards Stamp Duty.

Date 1 NOV 2016

Place Ratia 10730



(Signatures of Authorised Officer)




ATTESTED
Photostat True Copy

बैयनामा-15,00,000/-रूपये

इस्टाम्प-135000/-रूपये

इस्टाम्प स्टेट बैंक आफ इन्डिया, ब्रान्च रतिया से क्रमांक GSR/001: 545625 दिनांक 12-11-2016 को खरीद किये गये है वा रजिस्ट्रेशन फीस मुबलिंग 15003/-रूपये बरूबे चालान न0 024849947 दिनांक 12-11-2016 एस0बी0आई बैंक शाखा रतिया मे जमा करवा दी है जिसकी मूल कापी साथ सलंगन है । रकबा मौजा रतिया में, नगरपालिका की सीमा के अन्दर स्थित है। रकबा तेदादी 3 कनाल 0 मरले है। रकबा कलैक्टर कोड न0 51 मे स्थित है । किस्म रकबा नहरी है। रकबा मौका पर काशता है। रोबरू सब रजिस्ट्रार, रतिया, रूपये = कुछ नहीं। ईकरारनामा नहीं हुआ है। खरीदार औरत है ।

हम श्रीमति अन्जली रानी पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार वा श्रीमति कृष्णा देवी विधवा कृष्ण कुमार पुत्र सीता राम निवासीयान वार्ड न0 17 डेजी कालोनी रतिया तहसील रतिया जिला फतेहाबाद की हैं तथा हमने अपनी भूमि, स्थित रतिया, मलकियती खुद, हर दो समभाग में, बिला किसी बार के, मय सर्वाधिकारो के, बरूबे जमाबन्दी साल 2013-14 की रूह से भूमि खेवट नम्बर 1112 खतौनी नम्बर 1408 किता 5 तेदादी 32 कनाल मे हर दो समभाग मे 3/32 भाग बकदर रकबा तेदादी 3 कनाल 0 मरला को स्वस्थबुद्धि प्रसन्नचित मन के बिना किसी दवाब के बदले मुबलिंग 15,00,000/- रूपये (पन्द्रह लाख रूपये) में बदस्त वा बाहक श्रीमति रीचा सरदाना पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र मोहन लाल निवासी वार्ड न0 10 रतिया तहसील रतिया जिला फतेहाबाद को बैय कतई कर दी है। बैय की खालम रकम मुबलिंग 15,00,000/- रूपये मे से मैने यानि विक्रेता श्रीमति अन्जली रानी पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार ने मुबलिंग 7,50,000(सात



ATTESTED
Photosiat True Copy

Arjali

...2...

लाख पचास हजार रुपये) खरीदारा से बरूबे चैक न0 217858 दिनांक 21-11-2016 शाखा औरिऐन्टल बैंक आफ कामर्स रतिया से वा मैने यानि विक्रेता श्रीमति कृष्णा देवी विधवा कृष्ण कुमार पुत्र सीता राम ने मुबलिंग 7,50,000(सात लाख पचास हजार रुपये) खरीदारा से बरूबे चैक न0 217859 दिनांक 21-11-2016 शाखा औरिऐन्टल बैंक आफ कामर्स रतिया से उक्त हिसाब से सालम राशि वसुल पा ली है वा अब एक भी पैसा लेना बाकी ना रहा है। कब्जा मौका वा मालकाना भी आज ही अराजी खसरा न0 235//23 वा 24 मे मिन उतर साईड मे खरीदारा को सम्भलवा दिया है। रजिस्ट्री का सारा खर्चा खरीदारा ने किया है। इस बैयनामा की रूह से खरीदारा के नाम इन्तकाल दर्ज वा मन्जुर होने मे हमे कोई उजर वा ऐतराज ना है ।

अतः यह दस्तावेज बैयनामा मय होश-हवास बिलकुल सही हालत में रखते हुए लिखा दिया है कि सनद रहे ओर समय पर काम आवे। पढकर सुनाया गया सही माना व स्वीकार किया। दिनांक-21-11-2016
झाफटिड बाय:-राजेश गोदारा ऐडवोकेट रतिया । Godara

अन्जली रानी-कृष्णा देवी(बायान)


Anjali



Rajendra Kumar

गवाह-1

गवाह-2



जगराज सिंह नम्बरदार रतिया ।


राजेन्द्र कुमार पुत्र मोहन लाल
निवासी वार्ड न0 10 रतिया ।

ATTESTED
Photostat True Copy

रीचा सरदाना(खरीदारा)

Richa Sardana

Whose
Stamp
Ratified



24-3-2017
गाम
जिला

Whose
Stamp
Ratified

लेख किरायानामा


जो कि मैं श्रीमती रिचा सरदाना पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहन लाल निवासीया माडल टाउन रतिया तहसील रतिया जिला फतेहाबाद की हूँ जो कि मैं भूना रोड़ रतिया में 3 कनाल भूमि की मालिक व काबिज हूँ जिसमें इमारत तामीर की हुई है व कुछ रकबा खाली है । अब मैंने अपनी उपरोक्त 3 कनाल भूमि मय तामीरशुदा को बदले मुबलिंग 10,000/-रूपए प्रति मास के हिसाब से किराया पर देने का इकारा बदस्त मैसर्ज गुलाब इन्डस्ट्रीज रतिया तहसील रतिया जिला फतेहाबाद को बजरिया इसके प्रोपराईटर नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहन लाल निवासी माडल टाउन रतिया तहसील रतिया जिला फतेहाबाद (जो कि नरेन्द्र कुमार रिश्ते में मेरा देवर लगता है) के साथ करके किराए की अवधि बीस साल तय की है जो कि दिनांक 01.03.2017 से लेकर 28.02.2037 तक मान्य रहेगी । किराया एक माह का एडवांस प्राप्त कर लिया है और आगामी अवधि का किराया भी किराएदार से माह दर माह एडवांस प्राप्त करने की हकदार रहूंगी । किराया अवधि समाप्त होने पश्चात रकबा/इमारत का कब्जा वापिस लेने की हकदार हूंगी व दोनों पक्षों की सहमति से किराया की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकेगा । किराए पर दी गई इमारत में किराएदार नरेन्द्र कुमार अपने स्वयं के नाम या अपनी फर्म के नाम पर बिजली कनेक्शन लगवा सकेगा व समय पर बिल भरने का पबन्द रहेगा और यदि समय पर निगम का बिल अदा ना करेगा तो उसकी जिम्मेवार मैं रहूंगी । किराएदार नरेन्द्र कुमार अपनी फर्म हेतु किसी भी सम्बन्धित विभाग से एन ओ सी ले सकेगा । किराएदार नरेन्द्र कुमार किराया पर दी गई इमारत में जो भी इन्डस्ट्री लगाएगा उस इन्डस्ट्री से सम्बन्धित किसी भी औपचारिकता पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित विभाग में हर प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा । अतः यह किरायानामा मैंने अपने पूरे होश हवास में तहरीर करवा दिया है ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे । पढकर सुनाया गया, समझा सही माना, स्वीकार किया, हस्ताक्षर/ अंगूठे किए। मुकाम रतिया। दिनांक

दुकान मालिक ह0

Richa Sardana
श्रीमती रिचा सरदाना

गवाह

सुरेश कुमार पुत्र श्री हाकम बन्द
निवासी दादूपुर त0 रतिया।



ATTESTED
Photostat True Copy

ह0 किराएदार

Darshana

मैसर्ज गुलाब इन्डस्ट्रीज रतिया
बजरिया प्रोपराईटर नरेन्द्र कुमार

Attested as Identified

NOTARY
FATEHABAD (INDIA)

24-3-17